

संख्या शिक्षा ई0डी0एन-एच(23)1-6/98-सामान्य निर्देश  
उच्चतर शिक्षा निदेशालय,  
शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक: शिमला-171001

16<sup>th</sup> मार्च, 2020

सेवा में

समस्त उप शिक्षा निदेशक,(उच्च)  
हिमाचल प्रदेश ।  
समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/ संस्कृत महाविद्यालय  
हिमाचल प्रदेश ।  
समस्त प्राचार्य, डाईट हिमाचल प्रदेश ।  
ग्रुप कमांडर, एन0सी0सी0 हेडक्वाटर शिमला-171004  
समस्त कमांडिंग ऑफिसर, हिमाचल प्रदेश ।  
समस्त पुस्तकालयध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।

विषय:- अधिकारियों एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वर्ष 2019-20 की  
वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भेजने बारे ।

ज्ञापन:-

उच्चतर शिक्षा निदेशालय के अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वर्ष 2019-20 की गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे सरकार द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अन्तर्गत अप्रैल माह में सभी कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित की जानी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उच्चतर शिक्षा निदेशालय के अधीनस्थ कुछ शिक्षा संस्थानों से गोपनीय रिपोर्ट समय पर प्रेषित नहीं की जा रही है केवल पदोन्नति के समय ही पिछले कई वर्षों की प्रेषित कर दी जाती है जिसके कारण यहां डी0पी0सी0 या अन्य सेवा सम्बन्धी मामले निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होते हैं। गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय रिपोर्टिंग अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि क्या कर्मचारी द्वारा गोपनीय रिपोर्ट फार्म में अपना सेवा विवरण सही भरा गया है या नहीं। अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट वर्णानुक्रम/श्रेणी बार(Alphabetically/Category Wise)जन्म तिथि (D.O.B) प्रथम नियुक्ति (D.O.A) Dossier Number, Mobile Number, निदेशालय को प्रेषित करें। यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी अपनी गोपनीय रिपोर्ट निर्धारित समय पर प्रेषित नहीं करते हैं तो इस स्थिति में रिपोर्टिंग अधिकारी स्वयं अपने स्तर पर उनकी गोपनीय रिपोर्ट भरकर पुनर्विलोकन अधिकारी (Reviewing Officer) को प्रेषित करें तथा उन कर्मचारियों/अधिकारियों पर विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी। समय सारणी को मध्य नजर रखते हुए इसके उपरान्त गोपनीय रिपोर्ट प्रेषित करने वाले कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट किसी भी सूरत में स्वीकृत नहीं की जाएगी और पदोन्नती एवम् अन्य वित्तीय लाभ के लिए सम्बन्धित कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अतः उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सभी उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट एक साथ पूर्ण करके 30 अप्रैल से पूर्व निदेशालय में विशेष सम्वाहक (Special Messenger) द्वारा प्रेषित की जाये तथा गोपनीय रिपोर्ट के सम्बन्ध में समाप्ति पत्र (Completion Certificate) भी दिया जाये कि अपने जिले के

अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवम् लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वर्ष 2019-20 की गोपनीय रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित कर दी गई है तथा कोई भी गोपनीय रिपोर्ट लम्बित नहीं है । विलम्ब के लिये उप शिक्षा निदेशक/प्रधानाचार्य का सारा उत्तरदायित्व होगा । सरकार द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी संलग्न है ।

इसे अतिआवश्यक समझा जाये

शिक्षा निदेशालय उच्चतर शिक्षा

16 MAR 2020

शिक्षा निदेशक(उच्चतर)  
हिमाचल प्रदेश ।

पृष्ठांकन सम संख्या दिनांक: शिमला-171001 मार्च, 2020  
प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रधान सचिव(शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002.
2. निजी सचिव, शिक्षा निदेशक (उच्च) हिमाचल प्रदेश शिमला-1.
3. समस्त शाखा अधिकारी/अधीक्षक शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश शिमला-171001
4. तकनीकी अधिकारी, यान्त्रिक शाखा शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश शिमला-171001
5. रक्षक नस्ति ।

शिक्षा निदेशक(उच्चतर)  
हिमाचल प्रदेश ।